अध्याय IV : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

4.1 एपीईडीए द्वारा अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं करने के कारण हानि

विभिन्न एजेंसियों के साथ मेमोरंडम ऑफ अंडरटेकिंग में ब्याज तथा जुर्माना को लागू करने के लिए प्रावधान को शामिल नहीं करना, एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंक गारंटियों का आग्रह नही करना तथा सहायता-अनुदान की राशि की उपयोगिता का एपीईडीए द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग के परिणामस्वरूप एपीईडीए को ₹ 3.31 करोड़ की हानि हुई।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985, के अंतर्गत गठित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) कृषि और खाद्य उत्पादों से संबंधित उद्योगों के निर्यात प्रोत्साहन और विकास के लिए जिम्मेदार है। तीन परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत एवं उपयोग की गयी वित्तीय सहायता का विवरण नीचे **तालिका सं. 1** में दिया गया है:

तालिका सं. 1: जारी की गईं वित्तीय सहायता एवं उपयोग की गई निधियां

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	एमओयू की तिथि/परियोजना की समाप्ति की लक्षित तिथि	परियोजना एवं इसकी कुल लागत	एपीईडीए द्वारा संस्वीकृत सहायता-अनुदान की राशि	एपीईडीए द्वारा जारी की गई राशि/भुगतान की तिथि	परियोजना से निकलने/त्यागने की तिथि	एजेंसी द्वारा वापस की गई राशि/ सहायता-अनुदान वापसी की तिथि
1.	कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं निर्यात निगम लिमि. (केएपीपीईसी)	15-03-2011/ 14-03-2012	कर्नाटक में बेलगाम में फल और सब्जियों के लिए एक एकीकृत शीत श्रृंखला स्थापित करने के लिए ₹ 11.72 करोड़	₹ 5.50 करोड़	₹ 2.20 करोड़/ 15-03-2011	31-03-2016	₹ 2.87 करोड़/ 22-08-2016
2.	पश्चिम बंग कृषि विपणन निगम लिमि. (पीबीएएमसी)	26-03-2012/ 25-09-2013	हुगली, पश्चिम बंगाल में आलू के गुच्छे के लिए प्रसंस्करण	₹ 8.00 करोड़	₹ 3.20 करोड़/ मार्च 2012	14-07-2016	₹ 3.97 करोड़/ 02-11-2016

			ईकाईं स्थापित करने के लिए ₹ 25.47 करोड़				
3.	तमिलनाडु बागवानी विकास एजेंसी (टीएएनएचओडीए)	20-08-2014/ 19-02-2016	तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में व्यक्तिगत त्वरित फ्रोजन (आईक्यूएफ) संयंत्र स्थापित करने के लिए - ₹ 9.62 करोड़	₹ 7.42 करोड़	₹ 3.71 करोड़/ 24-09-2014	24-02-2016	₹ 3.73 करोड़/ 17-03-2016

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) एपीईडीए को सहायता अनुदान जारी करते हुए, प्रशासनिक मंत्रालय यथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, द्वारा जारी किए गए स्वीकृति आदेश की नियम और शर्तों में बताया गया कि यदि एपीईडीए सहायता अनुदान की स्वीकृति के नियमों और शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 209 के अनुसार अनुदान की पूरी या आंशिक राशि प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। यद्यपि एपीईडीए ने केवल टीएएनएचओडीए के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में इसी तरह की धारा को शामिल किया था, और यह केएपीपीईसी और पीबीएएमसी के साथ किए गए एमओयू में नहीं था।

(ii) उपर्युक्त एजेंसियों के साथ एपीईडीए द्वारा हस्ताक्षरित तीन एमओयू में जुर्माने के प्रभार से संबंधित प्रावधानों में एकरूपता की कमी थी। जबकि पीबीएएमसी के साथ एमओयू में परियोजना को पूरा करने में विलंब के प्रत्येक माह के लिए परियोजना लागत का एक प्रतिशत से अधिकतम पांच प्रतिशत के सीमा तक प्रावधान किया गया था, टीएएनएचओडीए के साथ एमओयू में एपीईडीए द्वारा अधिकतम जुर्माने को संस्वीकृत राशि के पाँच प्रतिशत तक सीमित किया गया था। केएपीपीईसी के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में, जुर्माने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया था।

एपीईडीए को मंत्रालय द्वारा 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाने के संबंध में शर्त शामिल करने में विफलता तथा मूल राशि की कम राशि (केएपीपीईसी और टीएएनएचओडीए के मामले में) की वापसी की स्वीकृति के अतिरिक्त परियोजना लागत/संस्वीकृत लागत के पांच प्रतिशत की अधिकतम दर पर जुर्माना लगाने के, परिणामस्वरूप ₹ 3.31 करोड़ की कम वसूली हुई जैसा नीचे **तालिका सं. 2** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका सं. 2: कम वसूली

(₹ करोड़ में)

एजेंसी	वापसी योग्य राशि यदि एमओयू में ब्याज एवं जुर्माना लागू करने का उपबंध शामिल किया गया था				एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप से वापस की गयी राशि				कम वसूल की गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(5-9) = 10
	मूल	**ब्याज**	**जुर्माना**	**कुल**	**मूल**	**ब्याज**	**जुर्माना**	**कुल**	
केएपीपीईसी[1]	2.20	1.20	0.28	3.68	1.94	0.93	शून्य	2.87	0.81
पीबीएएमसी[2]	3.20	1.47	1.27	5.94	3.20	शून्य	0.77	3.97	1.97
टीएएनएचओडीए[3]	3.71	0.55	शून्य	4.26	3.52	0.21	शून्य	3.73	0.53
कुल	**9.11**	**3.22**	**1.55**	**13.88**	**8.66**	**1.14**	**0.77**	**10.57**	**3.31**

(iii) यद्यपि एपीईडीए से प्राप्त अनुदान की राशि के लिए सुरक्षा के रूप में केपीपीईसी और टीएएनएचओडीए द्वारा दी गई बैंक गारंटियों (बीजी) की वैधता क्रमशः दिनांक 31 मार्च 2016 एवं 30 जनवरी 2016 को समाप्त हो चुकी थी, बैंक गारंटियों की वैधता का वापसी की तिथि तक नवीकरण नहीं किया गया था। पीबीएएमसी के मामले में, यद्यपि बीजी, पीबीएएमसी द्वारा सहायता अनुदान (02 नवम्बर 2016) की वापसी की

---

[1] **केएपीपीईसी** - 15 मार्च 2011 से 22 अगस्त 2016 (अर्थात कुल 1987 दिन) तक की अवधि के लिए ₹ 2.20 करोड़ पर 10 प्रतिशत प्र.व. की दर से **ब्याज** = (₹ 2.20 करोड़ का 10 प्रतिशत) * 1987/365 दिन = ₹ 1.20 करोड़। **जुर्माना** - संस्वीकृत लागत का 5 प्रतिशत = ₹ 5.50 करोड़ का 5 प्रतिशत = ₹ 0.28 करोड़

[2] **पीबीएएमसी** - 31 मार्च 2012 से 02 नवम्बर 2016 (अर्थात कुल 1676 दिन) की अवधि के लिए ₹ 3.20 करोड़ पर 10 प्रतिशत प्र.व. की दर से **ब्याज** = (₹ 3.20 करोड़ का 10 प्रतिशत)*1676/365 दिन = ₹ 1.47 करोड़। **जुर्माना** - परियोजना लागत का 5 प्रतिशत = ₹ 25.47 करोड़ का 5 प्रतिशत = ₹ 1.27 करोड़

[3] **टीएएनएचओडीए** - 24 सितम्बर 2014 से 17 मार्च 2016 (अर्थात कुल 541 दिन) की अवधि के लिए ₹ 3.71 करोड़ पर 10 प्रतिशत प्र.व. की दर से **ब्याज** = (₹ 3.71 करोड़ का 10 प्रतिशत) * 541/365 दिन = ₹ 0.55 करोड़। **जुर्माना** - कोई जुर्माना नहीं लगाया गया क्योंकि परियोजना को फरवरी 2016 में वापस ले लिया गया था, अर्थात पूरा होने की तारीख के अंदर।

तिथि पर वैध थे, बैंक गारंटी पर इसका प्रभार जारी कर एपीईडीए के पास जुर्माने की कम वसूली के लिए दावे पर जोर देने के लिए कोई संभावना नहीं छोड़ी।

(iv) पीबीएएमसी की परियोजना 26 मार्च 2012 को एमओयू पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 18 महीनों के भीतर पूरी की जानी थी। तदनुसार, परियोजना पूरी होने की निर्धारित तिथि 25 सितंबर 2013 थी। यद्यपि इस परियोजना ने पूरा होने की नियत तिथि से ढ़ाई से अधिक वर्षों के लिए किसी भी प्रगति को प्राप्त नहीं किया है तथा पीबीएएमसी ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जैसे ₹ 25.47 करोड़ से ₹ 40.39 करोड़ तक की परियोजना लागत का संशोधन, आरआईडीएफ-एक्सएक्स[4] योजना के अंतर्गत कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) से अतिरिक्त निधियों को बढ़ाना और एपीईडीए और आरआईडीएफ फंड का उपयोग व्यवहार्यता अंतर निधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के मोड में बदलाव किया गया है। दोषपूर्ण मॉनीटरिंग प्रणाली के कारण एपीईडीए को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एपीईडीए ने अपनी संस्वीकृति वापस लेने तथा पीबीएएमसी को दिए गए अनुदान सहायता को वसूलने के लिए नवंबर 2015 तक कोई कार्रवाई नहीं की जब उसने पीबीएएमसी के साथ राशि की वापसी का तथा बाद में अप्रैल 2016 में, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मामला उठाया।

प्रबंधन ने बताया (जुलाई/अगस्त 2017) कि:

(i) अप्रयुक्त अनुदानों की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज केवल एपीईडीए द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों के लिए लागू था, न कि पीएबीएएमसी की तरह व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए एपीईडीए द्वारा किए गए अनुप्रवाह वितरण के लिए।

(ii) भविष्य में हस्ताक्षरित सभी एमओयू में जुर्माना और ब्याज धारा शामिल किए जाएंगे। प्रबंधन ने पीबीएएमसी के साथ एमओयू में धारा 7 के अनुसार पांच प्रतिशत की दर से जुर्माना की गणना में त्रुटि स्वीकार की।

---

[4] ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि - एक्सएक्स।

(iii) केएपीपीईसी के मामले में बैंक गारंटियों का भविष्य में अग्रिम रूप से पुनर्वैधीकरण किया जाएगा। टीएएनएचओडीए के संबंध में, प्रबंधन ने कहा कि एपीईडीए को परियोजना के बीजी का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो आगे जारी नहीं था।

(iv) दिसंबर 2012 में निगरानी समिति का गठन किया गया है। एपीईडीए ने स्वीकार किया कि उन्हें पीबीएएमसी से दिनांक 23 जून 2014 को पत्र के माध्यम से केवल परियोजना के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड को प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बारे में सूचित किया गया था।

(v) टीएएनएचओडीए द्वारा मूल के रूप में ₹ 3.52 करोड़ की वापसी को उचित ठहराया गया क्योंकि ₹ 3.52 करोड़ टीएएनएचओडीए को दिए गए निवल अनुदान थे और अनुदान के 10 प्रतिशत से कम दर पर ब्याज का भुगतान टीएएनएचओडीए के साथ किया जा रहा था।

निम्नलिखित कारणों से प्रबंधन के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे:

(i) तथ्य यह कि एपीईडीए प्रशासनिक मंत्रालय को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की मंजूरी के नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी था और तथ्य यह कि टीएएनएचओडीए के साथ एमओयू 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के लिए प्रदान किया गया था, जिसने कम से कम 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से समान रूप से ब्याज प्रभारित करने की आवश्यकता का संकेत दिया।

(ii) बैंक गारंटी से संबंधित प्रबंधन का उत्तर विरोधाभासी है। केएपीपीईसी के मामले में, यद्यपि प्रबंधन ने बीजी को भविष्य में अग्रिम रूप से संशोधित करने का आश्वासन दिया था; टीएएनएचओडीए के मामले में, प्रबंधन ने उत्तर दिया कि बीजी का पुन: सत्यापन अग्रिम में आवश्यक नहीं था क्योंकि परियोजना आगे जारी नहीं थी। बीजी के रूप में सुरक्षा की अनुपस्थिति में, संस्वीकृति के नियमों और प्रतिबंधों की शर्तों की गैर-अनुपालना के लिए वापसी लागू करने पर जोखिम हो सकता है।

(iii) यद्यपि प्रबंधन ने पीबीएएमसी से ₹ 3.20 करोड़ (अनुदान के पांच प्रतिशत के समतुल्य प्रसंस्करण शुल्क सहित) कि सहायता अनुदान की

पूरी राशि की वापसी स्वीकार की, टीएएनएचओडीए के मामले में, यह प्रसंस्करण शुल्क को छोड़कर, ₹ 3.52 करोड़ की निवल राशि के वापसी को उचित ठहराता है। इसके अतिरिक्त, टीएएनएचओडीए के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में पूरे अनुदान के साथ उसपर 10 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की वापसी भी निर्धारित थी।

इस प्रकार, एपीईडीए विभिन्न एजेंसियों के साथ किये गये एमओयू में ब्याज और जुर्माना के संबंध में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल नहीं करने के कारण अपने वित्तीय हितों को सुनिश्चित करने में विफल रहा, एजेंसियों को दी गई वित्तीय सहायता के प्रति बैंक गारंटी पर जोर न देने और एपीईडीए द्वारा सहायता-अनुदान की राशि के उपयोग की अपर्याप्त मॉनीटरिंग, का परिणाम ₹ 3.31 करोड़ की हानि में हुआ।

मामले को मंत्रालय को सूचित किया गया था (नवम्बर 2017); उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद

4.2 अविवेकी निधि प्रबंधन

सावधि जमा में निवेश करने के बजाय बचत बैंक खाते में बडा निष्क्रिय निधि को रखने से भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के केंद्रीय निधि के अविवेकी प्रबंधन के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान ₹ 13.76 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की स्थापना भारत सरकार ने निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अंतर्गत की थी ताकि गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण के माध्यम से निर्यात व्यापार के अच्छे विकास को उपलब्ध कराया जा सके। ईआईसी को उसके कार्यों में चेन्नई, दिल्ली, कोच्चि, मुंबई और कोलकाता स्थित पांच निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ईआईसी, केंद्र सरकार को निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के क्रियान्वयन के उपायों के बारे में सलाह देती है।

सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर, ईआईए द्वारा निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण किया जाता है।

ईआईसी ने वर्ष 1973 में एक केंद्रीय निधि बनायी। ईआईसी के पांच ईआईए द्वारा अर्जित सभी राजस्व इस केंद्रीय निधि में जमा किए जाते हैं। ईआईए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मासिक आधार पर धन की मांग बढ़ाती है, जो केंद्रीय निधि से मिले हैं। यद्यपि ईआईसी केन्द्रीय निधि का नियंत्रक प्राधिकरण है, ईआईए, कोलकाता सभी ईआईए की ओर से केन्द्रीय रूप से इस निधि के लेखाओं को अनुरक्षित करता है।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 229 के रूप में संशोधन), के नियम 208[5] में कहा गया है कि सभी स्वायत्त संगठनों को "आंतरिक संसाधनों की प्राप्ति को अधिकतम करने और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए"। इस प्रकार, केंद्रीय निधि का संतुलन विवेकपूर्ण तरीके से रिटर्न के सर्वोत्तम संभव प्राप्ति के लिए निवेश किया जाना चाहिए।

ईआईए, कोलकाता में ईआईसी के केंद्रीय निधि की लेखापरीक्षा परीक्षण ने निम्नलिखित उजागर किया:

- बड़ी निधि बिना किसी भी प्रयास के उनके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बचत बैंक खाते में वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थी। बहिर्प्रवाहों पर निधियों के अंतर्प्रवाह के निरंतर अधिशेष के कारण वर्षों में निधियां जमा हुई हैं। वर्ष 2016-17 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय निधि में पड़ी निधियों के अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह की वर्षवार स्थिति नीचे **ग्राफ सं. 1** में दर्शाई गई है:

[5] स्वायत्त संगठनों की स्थापना हेतु सामान्य सिद्धांत।

ग्राफ सं. 1: 2012-13 से 2016-17 के दौरान केन्द्रीय निधि में रखी निधियों का प्रवाह

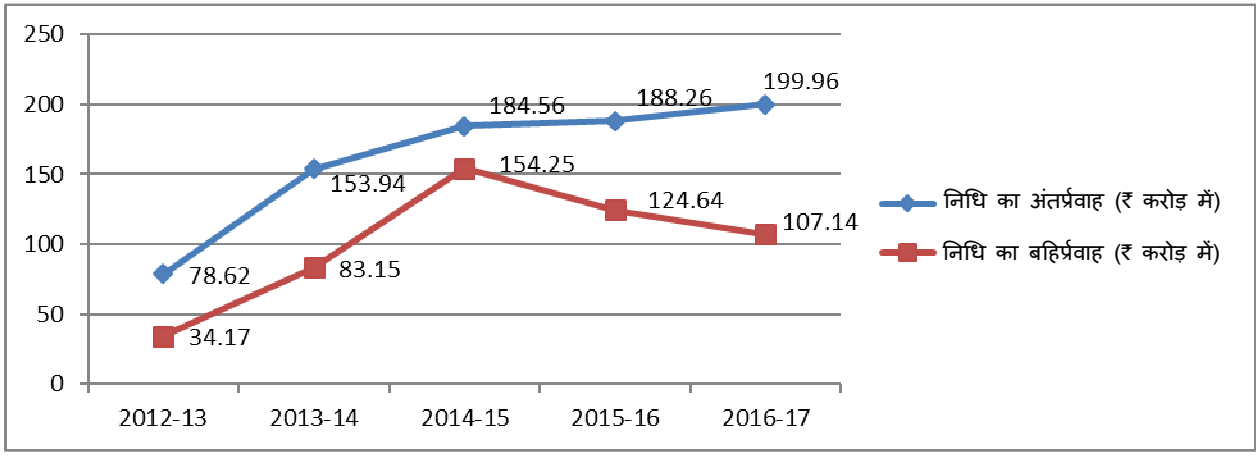

सितंबर 2017 को समाप्त हुए पिछले चार वर्षों से ईआईसी के केंद्रीय निधि में वर्ष-वार संचित अधिशेष निधि के ब्यौरे नीचे **तालिका सं. 3** में दिए गए हैं:

तालिका सं. 3: संचित अधिशेष निधि

वर्ष	संचित अधिशेष (₹ करोड़ में)
सितंबर 2014	259.33
सितंबर 2015	307.43
सितंबर 2016	240.82
सितंबर 2017	249.47

सितंबर 2017 तक की जा रही संचित राशि ₹ 249.47 करोड़ के साथ, केंद्रीय निधि में निरंतर अधिशेष है।

- पिछले तीन वर्षों (1 अक्तूबर 2014 से 31 मार्च 2017 तक) के बैंक विवरणी से पता चला है कि उपरोक्त बचत बैंक खाते में न्यूनतम और अधिकतम शेष राशि क्रमशः ₹ 238.87 करोड़ और ₹ 323.44 करोड़ के बीच थी, जिस पर भारतीय स्टेट बैंक ने प्रति वर्ष 3.5 से 4.0 प्रतिशत की दर से ब्याज की अनुमति दी थी। यदि इस तरह की निधियों को सावधि जमा में निवेश किया जाता, तो वे अक्तूबर 2014 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए 8.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष और अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान 5.50/4.25 प्रतिशत की ब्याज दर अर्जित कर लेते।

बचत खाते में इतनी बड़ी राशि का अनुरक्षण अविवेकपूर्ण निधि प्रबंधन था जो ईआईसी को उच्च रिटर्न से वंचित करता था। इस प्रकार, ईआईसी की अपनी अधिशेष निधियों की विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करने की विफलता के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 13.76 करोड़[6] के ब्याज का नुकसान हुआ, उपरोक्त अवधि के दौरान केंद्रीय निधि में न्यूनतम शेष राशि परिकलित की गई।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2017) कि:

- चूंकि केंद्रीय निधि की स्थापना परिषद के अनुमोदन से की गई थी और न कि संविधान या अधिसूचना के माध्यम से, इसमें कानूनी इकाई होने की क्षमता नहीं है। इसलिए, ऐसी गैर ईकाईं के प्रति निवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- ईआईसी ने पर्याप्त विवेक दिखाया और बचत बैंक के अंतर्गत खाते को अनुरक्षित रखा जो चार प्रतिशत की वापसी की दर प्राप्त करता है। लेखापरीक्षा की गणना दर पर आधारित होती है जो टीडीआर 8.25 प्रतिशत की दर से प्राप्त होती थी लेकिन कर के बाद वास्तविक प्राप्ति 4.125 प्रतिशत के आसपास होगा, जो ईआईसी के पहले से ही अर्जित किए ब्याज से थोड़ी ही अधिक है।
- इस मामले की समीक्षा परिषद द्वारा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अब से ईआईसी और ईआईए के सभी खातों को एमओडी[7] आधार पर संचालित किया जाएगा।

---

[6] @8.25 प्रतिशत, ₹ 13.76 करोड़ का ब्याज, ₹ 238.87 करोड़ पर (अक्तूबर 2014 से मार्च 2017 के दौरान अनुरक्षित न्यूनतम शेष) (अक्तूबर 2014 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए एक वर्ष की अवधि से दो वर्ष से कम अवधि तक के लिए लागू दर) तथा @5.50/4.25 प्रतिशत (2016-17 की अवधि के लिए) में से कम ब्याज ₹ 27.69 करोड़ अक्तूबर 2014 से मार्च 2017 के दौरान वास्तव में बचत खाते पर (@3.5/4 प्रतिशत) अर्जित किया गया।

[7] बहु विकल्प जमा योजनाएं बचत या चालू खाते से जुड़ी हुई सावधि जमा हैं, जो कि किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार बंद की जा सकती हैं और साथ ही शेष राशि पर सावधि जमाओं की ब्याज दर अर्जित करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ईआईसी ने सुधारात्मक कदम उठाने का फैसला किया है। यद्यपि, प्रबंधन के तर्क निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं हैं:

- केंद्रीय निधि का परिचालन परिषद द्वारा अपनी परिचालन गतिविधियों को संचालित करने के लिए किया जाता है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005/2017 के अनुसार, परिषद को अधिकतम आंतरिक आय प्राप्त करने के लिए सावधि जमा में अधिशेष धन का निवेश करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, ईआईए, कोलकाता भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता की सावधि जमा में भविष्य निधि और पेंशन निधि के शेषों का निवेश कर रहा है और केन्द्रीय निधि के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया की जानी चाहिए थी।
- सावधि जमा हमेशा बचत खाते की तुलना में उच्च ब्याज दर अर्जित करता है। यहां तक कि यदि ब्याज आय पर आयकर का भुगतान किया जाना है, तो सावधि जमा की कर के बाद वास्तविक प्राप्ति हमेशा बचत बैंक खाते की तुलना में अधिक होगा, चूंकि बचत खाते और सावधि जमा दोनों से अर्जित ब्याज आयकर पर उसी दर पर आधारित होगा।

इस प्रकार, ईआईसी को अक्तूबर 2014 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान, सावधि जमाओं में समान रूप से निवेश करने के बजाय बचत बैंक खाते में बड़ी शेष रखने के कारण ₹ 13.76 करोड़ के ब्याज की हानि का नुकसान उठाना पड़ा।